

न्यायालय:- सिविल जज (जू.डि.), मऊ, चित्रकूट।

मूलवाद संख्या- 76 / 2013

माताबदल

बनाम

देवेन्द्र आदि

02.03.2019-

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थनापत्र 6ग2 पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

वादी पक्ष द्वारा प्रार्थनापत्र 6ग2 अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर याचना की गई है कि जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को रोक दिया जाये कि वे स्वयं अथवा मेली मददगारों के जरिये वादी के प्रश्नगत स्थल अ,ब,स,द प्रदर्शित नक्शा नजरी पर अवैध कब्जा करके मकान निर्माण न करें और न करावें और न ही वादी के स्वत्व व अध्यासन वाली भूमि पर जबरन कब्जा व निर्माण न करें। वादी पक्ष का अभिकथन है कि उसके द्वारा एक किता प्लाट जिसका लम्बाई उत्तर दक्षिण 20 फिट व पूरब पश्चिम 32 फिट है और जिसकी चौहद्दी उत्तर भूमि शारदा, दक्षिण कच्चा मकान देवेन्द्र, पूरब कच्चा रास्ता एवं पश्चिम कच्चा मकान कालका है। वादी द्वारा अपने समर्थन में सूची 10ग1 द्वारा पंजीकृत विक्रय विलेख 11ग1 दाखिल किया गया है। वादी के कथनानुसार वादी विक्रय की तिथि से विवादित भूमि पर काबिज दाखिल है।

प्रतिवादी पक्ष की ओर से आपत्ति कागज संख्या 28ग2 दाखिल करके प्रार्थना पत्र 6ग2 निरस्त किये जाने की याचना की गई है। प्रतिवादी पक्ष का अभिकथन है कि विवादित भूमि के जानिब पश्चिम नापदान है जिसमें प्रतिवादी देवेन्द्र त्रिपाठी के घर का पानी निकलकर नाले में जाकर मिलता है। यह नापदान पूर्वजों के जमाने से कायम चला आ रहा है। विवादित भूमि का सही नक्शा वादी पक्ष द्वारा नहीं दिखाया गया है। प्रतिवादी पक्ष के अनुसार वादी के प्लाट की लम्बाई 20 फुट व चौड़ाई 21 फुट है। वादी ने बैनामा लिखाते समय बैनामा में गलत चौहद्दी व नाप लिखाया दिया है। वादी से नापदान से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रतिवादी पक्ष का यह भी अभिकथन है कि वादी के प्लाट 21 X 20 फुट से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता सरोकार नहीं है।

वादी पक्ष का अभिकथन है कि विवादित प्लाट का जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख मालिक काबिज दाखिल है। वादी द्वारा दाखिल किये गये पंजीकृत विक्रय विलेख में विक्रीत किये गये भूखण्ड की नाप 20 X 32 फुट अंकित हैं तथा वर्णित चौहद्दी वाद पत्र में विवादित भूमि की वर्णित चौहद्दी है। वहीं प्रतिवादी पक्ष के अनुसार वादी द्वारा विक्रीत प्लाट की वास्तविक नाप 20 X 21 फुट है तथा इस प्लाट के जानिब पश्चिम 3 फुट चौड़ा नापदान है जिसे वादी द्वारा नहीं दर्शित किया गया है। न्यायालय अमीन द्वारा प्रस्तुत आख्या कागज संख्या 23ग2 में विवादित भूमि के पश्चिमी भाग में नापदान होने का तथ्य आया है जिसकी चौड़ाई 3 फुट है। अमीन आख्या के अनुसार नापदान के अतिरिक्त विवादित भूमि की चौड़ाई उत्तरी दिशा में 18.5 फुट व दक्षिणी दिशा में 30 फुट है। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि के नाप के संबंध में वादी तथा प्रतिवादी दोनों के कथन अमीन आख्या से मेल नहीं खाते हैं साथ ही साथ वादी द्वारा विवादित भूमि का वादी द्वारा बैनामा लिये जाने का तथ्य

प्रतिवादीगण को स्वीकार है। वादी पक्ष द्वारा बाद में वाद पत्र में संशोधन कर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन नापदान बनाने का अभिकथन किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा यह भी अभिकथन है कि नापदान के अलावा शेष विवादित भूमि से उनका कोई वास्ता सरोकार नहीं है। इन तथ्यों एवं परिस्थितियों में मेरे मत में दौरान वाद विवादित भूमि पर उभयपक्ष द्वारा यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 6ग2 इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि विवादित भूमि पर उभयपक्ष दौरान वाद यथास्थिति कायम रखें। तदनुसार आपत्ति निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक-01.04.2019 को पेश हो। वादी पक्ष अविलम्ब सूची गवाहन व साक्ष्य शपथ-पत्र दाखिल करना सुनिश्चित करें।

सिविल जज (जू.डि.),
मऊ, चित्रकूट।